

निवेशक संबंध विभाग
प्रधान कार्यालय :
स्टार हाउस, सी-5, "जी" ब्लॉक,
8वीं मंजिल,
बान्द्रा कुर्ला संकुल,
बान्द्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051
दूरध्वनि : (022)- 6668 4490
फैक्स : (022)- 6668 4491
ईमेल: headoffice.share@bankofindia.co.in

बैंक ऑफ इंडिया
Bank of India

BOI



INVESTOR RELATIONS CELL

HEAD OFFICE :

Star House, C-5, "G" Block,
8th Floor (East Wing),
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (East)
Mumbai - 400 051

Phone : (022)- 6668 4490

Fax : (022)- 6668 4491

E-Mail : headoffice.share@bankofindia.co.in

संदर्भ क्र Ref No.:HO:IRC:SD:2020-21:179

दिनांक Date: 22.09.2020

By Email

Capt. Sukhpal Singh Sur,
1247, First Floor,
Sector 43B, Chandigarh-160043

Without Prejudice

Dear Sir,

**Complaint Regn. No. SEBIE/MH20/0008078/1 dated August 9, 2020 and
Complaint Regn. No. SEBIE/MH20/0008345/1 dated August 16, 2020**

We request reference to your above complaints lodged on the portal of BSE Limited. We would like to inform that this case is not about the deficiency of service to investors or other regulatory (SEBI) compliances.

2. We further submit that Bank has already replied to the information sought by you under RTI Act by Nariman Point LCB vide their Letters No. NPLCB/BSF/2020-21/31 and 38 dated 30.05.2020 and 10.06.2020 and the same has been uploaded on PG portal.

3. Further, this complaint is not related to Transfer/ Transmission of Shares, Non Receipt of Dividend from the Bank, Non receipt of Annual Report etc. Our Department has nothing to reply in the matter. Hence, by marking a copy of this letter to BSE, we are requesting them to treat the matter as closed.
Thanking you,

Yours faithfully,



Rajeev Bhatia

(Rajeev Bhatia)
Company Secretary

CC: The General Manager, Investor Service Cell, BSE Limited.

As the complaint does not pertain to deficiency of service to investors, we request you to close the same and oblige.



Rajeev Bhatia

(Rajeev Bhatia)
Company Secretary

बैंक ऑफ़ इंडिया
Bank of India

BOI



असाधारण आम बैठक

गुरुवार, 22 अक्टूबर, 2020, प्रातः 11.00 बजे से

**वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) एवं
अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से**

Extraordinary General Meeting
Thursday, 22nd October, 2020 at 11.00 A.M.

**Through Video Conference (VC) and
other Audio Visual Modes (OAVM)**

प्रधान कार्यालय:

स्टार हाउस, सी-5, 'जी' ब्लॉक,
बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व)
मुंबई - 400 051



HEAD OFFICE:

STAR HOUSE, C-5, 'G' BLOCK
BANDRA KURLA COMPLEX,
BANDRA (EAST),
MUMBAI - 400 051



विषय	पृष्ठ संख्या	Contents	Page No.
नोटिस	03	Notice	22
व्याख्यात्मक विवरण	04	Explanatory Statement	23
प्रासंगिक अधिनियमों तथा विनियमों का अंश	10	Extract of Relevant Acts and Regulations	29
ई-वोटिंग के अनुदेश	20	Instruction of E-Voting	39
नामांकन फार्म	41	Nomination Form	42
घोषणा फॉर्म	43	Declaration Form	45
प्रस्तावित निदेशक (उम्मीदवार) द्वारा व्यक्तिगत जानकारी की घोषणा तथा वचनबद्धता	47	Declaration of Personal Information and Undertaking by the proposed director (candidate)	51

कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण तारीख	Important Calander of Events	
चुनाव में सहभागिता हेतु पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के लिए कट ऑफ/निर्धारित तारीख	Cut-off / Specified date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the Election	शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 Friday, 18 th September 2020
नामांकन फार्म जमा करने के लिए अंतिम तारीख	Last Date of Submission of Nomination Forms	गुरुवार, 8 अक्टूबर, 2020 Thursday 8 th October 2020
नामांकन की जाँच	Scrutiny of Nominations	शुक्रवार, 9 अक्टूबर, 2020 Friday, 9 th October, 2020
ई वोटिंग के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने के लिए संकल्प को प्राप्त करने हेतु अंतिम तारीख	Last date for Receipt of Resolutions appointing Authorised Representatives for E-Voting	शनिवार, 17 अक्टूबर, 2020 Saturday, 17 th October 2020
सीडीएसएल की ई-वोटिंग तारीख	E-voting Dates on CDSL	सोमवार, 19 अक्टूबर, 2020 से बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020 Monday, 19 th October 2020 to Wednesday, 21 st October 2020
वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) तथा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से असाधारण आम बैठक की तारीख तथा समय	Date and Time of Extra Ordinary General Meeting through Video Conference(VC) and other Audio Visual Means(OAVM)	गुरुवार, 22 अक्टूबर, 2020 प्रातः 11.00 बजे Thursday, 22 nd October 2020 at 11.00 A.M.
असाधारण आम बैठक के वेन्यू का मानित (डीम्ड) स्थान	Deemed Venue of the Extraordinary General Meeting Venue	बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, सी-5, 'जी'-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 Bank of India, Head Office, Star House, C-5, 'G'-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051

सूचना

एतद्-द्वारा सूचना दी जाती है कि **बैंक ऑफ़ इंडिया** के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक **गुरुवार, 22 अक्टूबर, 2020** को प्रातः **11.00 बजे**, वीडियो कॉन्फ्रेंस ('वी.सी.)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से, निम्नलिखित कार्य को पूरा करने के लिए आयोजित की जाएगी। बैंक का प्रधान कार्यालय इस बैठक का स्थान माना जाएगा।

विशेष कारोबार

मद सं. 1

बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3)(i) तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसे 'योजना' के रूप में संदर्भित किया गया है) और उक्त अधिनियम की धारा 19 के अनुसार बनाये गए, बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2007 (इसके बाद इसे 'विनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर/एपीपीटी संख्या: 9/29. 67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 (इसके बाद इसे "भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना" संदर्भित किया गया है) तथा 25 मार्च, 2015 व 20 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर अधिकारिक निदेशकों के रूप में विचार करने के लिए सरकार द्वारा प्रतिपादित मानदण्डों के साथ पठित भारत सरकार की दिनांक 3 सितंबर, 2013 की अधिसूचना संख्या एफ.सं. 16/83/2013-बीओ.आई. तथा इसके अंतर्गत किये गये किसी संशोधन (इसके बाद इसे "भारतसरकार के दिशानिर्देश" संदर्भित किया जायेगा) की शर्तों के अनुसार, निम्नलिखित संकल्प को पारित करने के माध्यम से, बैंक के शेयरधारकों के बीच से (केन्द्र सरकार से भिन्न) एक निदेशक के चयन हेतु:-

“**संकल्प पारित किया जाता है** कि अधिनियम की धारा 9(3)(i), जिसे संबंधित योजना के साथ पढ़ा जाता है, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक को 25 अक्टूबर, 2020 से निदेशक के रूप में पदग्रहण करने और ऐसा पदग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने तक पदधारण करने के लिए एतद्-द्वारा नियुक्त किया जाता है।”

निदेशक बोर्ड के आदेश से

हस्ता/-

(**ए. के. दास**)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 18 सितम्बर, 2020

टिप्पणियां :

- कोविड-19 महामारी के कारण, असाधारण आम बैठक के इस नोटिस के जारी होने के समय, लोगों के इकट्ठा होने पर लॉडाउन प्रतिबंध लागू है। लॉकडाउन के पूरी तरह हटने या लोगों के इकट्ठा होने के प्रतिबंध के हटने पर, बैंक वीसी के माध्यम से आयोजन करने के अतिरिक्त, प्रधान कार्यालय के परिसर, ऑडिटोरियम में ईजीएम के आयोजन पर विचार कर सकता है जहां हितधारक इसमें शामिल हो सकते हैं। बैंक बैठक के आयोजन के माध्यम में होने वाले परिवर्तन से हितधारकों को स्टॉक एक्सचेंजों, समाचार पत्रों में नोटिस के प्रकाशन एवं बैंक की वेबसाइट पर इसकी सूचना देते हुए अवगत कराएगा।

व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक की कार्यवाही के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण इसके साथ संलग्न है।

वोट देने का अधिकार:

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, अपने पास रखे हुए बैंक के किसी भी शेयर के संबंध में, **सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के, दस प्रतिशत से अधिक वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।**

उपर्युक्त के अध्यक्षीन, प्रत्येक शेयरधारक, जिसे **निर्धारित तारीख** अर्थात **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020** को, शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, बैंक के एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव में भाग लेने (नामित करने, भाग लेने और वोट करने) का पात्र होगा तथा संबंधित एजेंडे की मद पर **निर्धारित तारीख** को उसके/उनके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का हकदार होगा।

संबंधित विनियम के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम से है तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में प्रथम नाम के व्यक्ति को, उसका एकमात्र धारक समझा जाएगा। अतः यदि शेयर, संयुक्त धारक के नाम से हैं तो केवल पहले नाम वाले व्यक्ति को, बैठक में उपस्थित होने का हक होगा और वही इस बैठक में नामांकन, चुनाव तथा वोट देने का हकदार होगा।

- **परोक्षी की नियुक्ति:**

चूँकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः शेयरधारक सीधे बैठक में शामिल हो सकते हैं तथा वोट कर सकते हैं तथा उनकी ओर से वोट में शामिल होने के लिए परोक्षी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

लॉकडाउन के पूरी तरह हटने या लोगों के इकट्ठा होने के प्रतिबंध के हटने पर व यदि बैठक का आयोजन ऑडिटोरियम में किया जाता है तथा शेयरधारक इस बैठक में उपस्थित होते हैं, शेयरधारक अपने परोक्षी (बैंक के कर्मचारियों को छोड़कर) की नियुक्ति कर सकते हैं और उक्त को कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051 को असाधारण आम बैठक के आयोजन की तिथि से 4 दिन पहले अर्थात् 17 अक्टूबर, 2020 को या उससे पहले बैंक के कार्यदिवस के अंदर प्रस्तुत कर सकते हैं।

- **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेट निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति पूर्वोक्त बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की प्रति को, जिसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा, जिसमें यह पारित किया गया था, को सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित नहीं कर दिया गया हो और वह बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई 400 051 को या संकल्प की स्कैन प्रति scrutinizer@snaco.net को तथा इसकी प्रतिलिपि को headoffice.share@bankofindia.co.in पर ईमेल न किया गया हो तथा असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार, 17 अक्टूबर, 2020** तक या कार्यालय समय की समाप्ति से पूर्व तक, प्रस्तुत न कर दिया गया हो।

- **उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र पास :**

चूँकि बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अतः ई.जी.एम. में शामिल होने के लिए किसी उपस्थिति पर्ची की आवश्यकता नहीं है।

लॉकडाउन के पूरी तरह हटने या लोगों के इकट्ठा होने के प्रतिबंध के हटने पर व यदि बैठक का आयोजन ऑडिटोरियम में किया जाता है तथा शेयरधारक इस बैठक में उपस्थित रहते हैं, शेयरधारकों के लिए उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास वेन्यू पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

- **पते में परिवर्तन :**

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे, अपने पंजीकृत पते में यदि कोई परिवर्तन हो, तो उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें :-

बिग शेयर सर्विसिस प्रा. लि.,

यूनिट: बैंक ऑफ़ इंडिया,

पहली मंजिल, भारत टिन वर्क्स बिल्डिंग

वसंत ओएसिस के सामने,

मरोल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 059

टेलि.: 022-62638200, फैक्स: 022-62638299

ई-मेल: investor@bigshareonline.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करने वाले शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(टों) को ही, अपने पंजीकृत पते तथा ईसीएस मैन्डेट विवरणों में परिवर्तन, यदि कुछ हो तो, सूचित करें।

व्याख्यात्मक विवरण

निदेशकों का चुनाव :

आपके बैंक ने 25 अक्टूबर, 2017 को, शेयरधारकों में से, केन्द्रीय सरकार से भिन्न, 2 निदेशकों यथा श्री डी. सरकार और श्री डी. हरीश का चुनाव किया है, जिनका कार्यकाल 24 अक्टूबर, 2020 को समाप्त हो रहा है।

चूँकि बैंक की प्रदत्त पूँजी में पब्लिक की शेयरधारिता, 16% से कम हो गयी है, अतः बैंक केवल एक शेयरधारक निदेशक चयनित करने का पात्र है।

25 अक्टूबर, 2020 को होने वाली रिक्ति को भरने के उद्देश्य से आपके बैंक का, गुरुवार 22 अक्टूबर, 2020 को आयोजित की जाने वाली असाधारण आम बैठक में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव करवाने का प्रस्ताव है।

शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अतिरिक्त), विभिन्न संबद्ध अधिनियम/योजना/विनियमों/अधिसूचना में दी गई विभिन्न प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं, जिसके संबंधित अंश यहां सूचित किए गए हैं।

शेयरधारकों द्वारा बैंक को प्रस्तुत नामांकनों की जांच के पश्चात तथा बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा उन्हें उचित एवं उपयुक्त पाए जाने पर या बाद में असाधारण आम बैठक में उनके चुनाव के पश्चात, एक निदेशक का चुनाव किया जाएगा। चुने गए निदेशक, दिनांक 25 अक्टूबर, 2020 को पदभार ग्रहण करेंगे और पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 24 अक्टूबर, 2023 तक के लिए पद पर रहेंगे।

विधिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका में इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/विनियम अधिनियम/ योजनाओं/ विनियमों/ अधिसूचनाओं में दिए प्रावधानों का उल्लेख किया गया है :

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त ब्यौरे
बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16 (1) धारा 20	- पर्याप्त हित - समान निदेशकों पर रोक - अपने किसी निदेशक को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी) धारा 13(2)	- वोटिंग अधिकार पर प्रतिबंध - शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या - कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान - कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु पात्र तभी होगा जब ट्रैक रिकार्ड के आधार पर वह उचित एवं उपयुक्त हो, ईमानदार हो और ऐसी अन्य शर्तें पूरी करता हो जो आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाए। - उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करने वाले किसी चयनित निदेशक को हटाने का आरबीआई का अधिकार। - ईमानदारी एवं गोपनीयता की बाध्यता।
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खण्ड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11A खण्ड 11B खण्ड 12(8)	- चुने हुए निदेशकों का कार्यकाल - बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता - निदेशक का कार्यालय खाली करना - चुने गए निदेशक को कार्यालय से हटाना - किसी चुने हुए निदेशक के कार्यालय में रिक्ति को भरना - जिन व्यवस्थाओं में निदेशकों का हित है उनमें उनके द्वारा हितों का प्रकटन
बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2007 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	- संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग - आम बैठकों में मतदान - आम बैठकों में निदेशकों का चुनाव - शेयरधारकों की सूची - चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन - नामांकनों की जांच - चुनाव विवाद - वोटिंग अधिकारों का निर्धारण - विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मतदान - परोक्षी
आरबीआई/डीबीआर/2019-20/7, मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर/एपीपीटी संख्या:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुरूप	राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के उपयुक्त एवं उचित होने हेतु शर्त
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग का संदर्भ फ. सं. 16/83/2013-बीओ.आई दि. 3 सितंबर, 2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर शासकीय निदेशक (एन.ओ.डी.) के चयन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड, जो 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई 2016 को जारी किए गए थे।		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक (एन.ओ.डी.) की नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड
आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई, 2014-मास्टर परिपत्र डीबीओडी.नं.डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015-16 दिनांक 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण एवं अग्रिम प्रदान करना

शेयरधारकों की सुविधा के लिए अधिनियम, विनियम अधिनियम/योजना/विनियमन और भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशा-निर्देश डीबीआर/एपीपीटी सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार के दिशानिर्देश दि. 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई 2016 के संगत उद्घरण को बैंक के वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर दिया जाएगा। कंपनी सचिव, बैंक ऑफ इंडिया को उनके प्रधान कार्यालय के ईमेल Headoffice.share@Bankofindia.co.in पर नामांकन फार्म जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख अर्थात् **गुरुवार 8 अक्टूबर, 2020** को या उसके पूर्व, कंपनी सचिव को संबोधित निवेदन की प्राप्ति पर, इच्छुक अभ्यर्थी को ऐसे प्रासंगिक अंशों को ईमेल किया जायेगा।

चुनाव में प्रतिभागिता

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम **निर्दिष्ट तारीख** अर्थात् **शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020** को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सदस्यों/हितकारी मालिकों के रजिस्टर में हों, भाग लेने हेतु पात्र होंगे अर्थात् केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में **नामित करने, चुनाव लड़ने और वोट** करने हेतु पात्र होंगे।

(क) बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अर्हताएं :

संबंधित अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनना चाहता है उसे

- निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो :
- कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहकारिता
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- विधि
- लघु उद्योग
- किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो।

(आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के माध्यम से, ऐसे व्यक्तियों जिन पर बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है, के लिए (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) कारोबार प्रबंधन शामिल करके विशेषज्ञता के क्षेत्र में विस्तार किया है।

- जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो; या
- किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

(ख) अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार एक उम्मीदवार जो शेयरधारक होने के नाते बैंक का निदेशक बनना चाहता है उसे “उचित एवं उपयुक्त” स्थिति में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को वचन विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किए अनुसार वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित अयोग्यताएं

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 के अनुसार निम्नलिखित तरह का व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने और निदेशक बनने हेतु अयोग्य है :

- यदि उसे कभी दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा हो या उसने प्रशमन किया हो, या
- यदि अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने उसे अस्वस्थ दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो, या
- यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी क्रिमिनल न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर, यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की

धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो, और

- यदि वह भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019 के साथ पठित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा “उचित एवं उपयुक्त” व्यक्ति नहीं पाया गया हो।

• शेयरधारकों की सूची

जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैटक) विनियम, 2007 तथा संशोधित के विनियम 64 में बताया गया है, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति (हार्ड/सॉफ्ट प्रति) **गुरुवार, दिनांक 01 अक्टूबर, 2020** से बैंक के महाप्रबंधक, वित्त विभाग, प्रधान कार्यालय से बैंक ऑफ इंडिया के पक्ष में मुंबई में देय 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) एवं उस पर देय कर के भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीदारी हेतु उपलब्ध होगी। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक वचन प्रस्तुत करना होगा कि इस सूची का उपयोग चुनाव के प्रचार हेतु किया जाएगा तथा अन्य किसी भी उद्देश्य से इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के प्रधान कार्यालय में शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी प्रकार का कोई उद्धरण प्राप्त करने के लिए प्रतियोगियों को सक्षम बनाने के उद्देश्य हेतु सभी कार्य दिवसों में (रविवार और बैंक अवकाश छोड़कर) दोपहर 3.00 से शाम 5.00 बजे तक जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। कोविड महामारी की परिस्थिति के कारण, ऐसे शेयरधारक जो शेयरधारकों के रजिस्टर की जांच करने के इच्छुक हैं, उन्हें जांच करने से कम से कम एक दिन पूर्व बैंक के कंपनी सचिव को ईमेल headoffice.share@bankofindia.co.in एवं दूरभाष 022-66684490 पर सूचित करना आवश्यक है। बैंक में आने वाले व्यक्ति बैंक प्रबंधन द्वारा अपेक्षित मैडिकल टेस्ट, यदि कोई हो, के अध्वधीन होंगे।

चुनाव लड़ने वाले सदस्य ₹ 10/- प्रति 1000 शब्द, या उसके भाग के लिए, की दर पर परिकलित पूर्व भुगतान पर, रजिस्टर के किसी भाग अथवा संबंधित भाग के कंप्यूटर प्रिंट के लिए बैंक को अनुरोध कर सकते हैं।

• चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन

संबंधित विनियम के विनियमन 65 के अनुसार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं.:9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी पत्र सं. एफ नं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 3 सितंबर, 2013 के अनुसार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनओडी के रूप में चयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 25 मार्च 2015 एवं 20 जुलाई 2016 निर्धारित मानदण्ड (जीओआई दिशानिर्देश) तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा, बशर्ते कि :

- वह बैंक ऑफ इंडिया में यथा निर्धारित तारीख **शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020** को, जो चुनाव में सहभागिता करने हेतु निर्धारित तारीख है, बैटक की तारीख तक न्यूनतम 100 शेयर रखता है तथा यदि वह चुना जाता है तो बैटक की तिथि तथा अपने कार्यकाल की समाप्ति तक न्यूनतम 100 शेयर रखता है।
- नामांकन की प्राप्ति की अन्तिम तारीख **गुरुवार, 08 अक्टूबर, 2020** तक की स्थिति के अनुसार, वह अधिनियम/योजना/विनियम/आरबीआई अधिसूचना के अन्तर्गत निदेशक होने से अन-अर्हक (डिस-क्वालीफाइड) नहीं कर दिया जाता/जाती है।
- नामांकन लिखित में है और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक निर्वाचित करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों अथवा उनके यथाविधि संघटित अटर्नी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किये हैं, बशर्ते कि कंपनी के रूप में शेयरधारक होने की स्थिति में नामांकन संबंधित कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प के रूप में किया जा सकता है। इस तरह से नामांकन करने की स्थिति में जिस बैटक में इस तरह का संकल्प पारित किया जाए उस बैटक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित संकल्प की प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित हो और बैंक के कंपनी सचिव को संबोधित हो तथा इस तरह भेजी गई प्रतिलिपि को कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- नामांकन के साथ घोषणा संलग्न हो जो किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी द्वारा के विधिवत हस्ताक्षरित हो और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होने के लिए इच्छुक है और उसे या तो अधिनियम या योजना या विनियमन के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है और साथ में विधिवत हस्ताक्षरित उसके व्यक्तिगत ब्यौरे (जीवनवृत्त) संलग्न हों जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि ऐसे ब्यौरे उसकी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सही और एक वचन भी संलग्न हो कि वह घोषणा के पश्चात प्रस्तुत जानकारी से सम्बद्ध ऐसी घटनाओं की पूरी जानकारी बैंक को यथाशीघ्र देगा/देगी।
- नामांकन फार्म एवं घोषणा फार्म वैसे हैं जैसा कि विनियम द्वारा निर्धारित है तथा प्रोफार्मा के रूप में अनुलग्न हैं। (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in पर उपलब्ध है।)

- बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 अथवा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 अथवा बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 2007 (इसके बाद इसे “विनियम” कहा जायेगा) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निदेश डीबीआर/एपीपीटी सं. :9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 एवं भारत सरकार के दिनांक 25.03.2015 व 20.06.2016 के दिशानिर्देश तथा इसमें किसी भी संशोधन के अंतर्गत, गैर-शासकीय निदेशकों के लिए जैसा लागू है, निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

• नामांकन फार्मों को जमा करना

केन्द्र सरकार के निदेशों को छोड़कर, शेयरधारकों के बीच से बैंकों के निदेशकों का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नलिखित कागजात जमा करना है-

- विधिवत् भरा गया घोषणा फॉर्म;
- चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों में से न्यूनतम 100 का नामांकन;
- सूचना के साथ संलग्न प्रारूपों में संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों अर्थात् आत्म-विवरण की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियाँ, शैक्षणिक योग्यताओं के प्रमाणपत्र, अनुभव आदि सहित व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा एवं वचनबद्धता, एक पुथक मुहरबंद लिफाफे में कंपनी सचिव को संबोधित, बैंक के प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-400 051 के पते पर असाधारण बैठक के कम से कम 14 दिन पहले किसी कार्य दिवस को अर्थात् **08 अक्टूबर 2020, गुरुवार को शाम 5.00 बजे तक** या उससे पहले दी जाये।

कथित नामांकन फॉर्म एवं अन्य दस्तावेज सभी प्रकार से पूर्ण हों, अन्यथा नामांकन स्वीकार नहीं किये जा सकते हैं।

• नामांकनों की जाँच एवं निदेशकों का चुनाव

- नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित तारीख के अगले प्रथम कार्य दिवस को, अर्थात् **शुक्रवार 09 अक्टूबर 2020** को बैंक के द्वारा नामांकनों की जाँच की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे उसके वैध न पाये जाने के कारणों को दर्ज करने के पश्चात् रद्द कर दिया जायेगा।
- वैध नामांकन, आरबीआई अधिसूचना तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुसार बोर्ड की नामांकन एवं परिश्रमिक समिति (एनआरसी) की जाँच के अधधीन हैं।
- नामांकन की जाँच प्रक्रिया के समय या बोर्ड की एनआरसी के द्वारा यथा सूचित, अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में उम्मीदवार से बैंक अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज आदि माँग सकता है।
- यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली उक्त रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन हो तो यथा नामांकित उम्मीदवार को उसी समय से चयनित माना जायेगा और उनका नाम तथा पता उक्त प्रकार से चयनित प्रकाशित किया जायेगा। ऐसी स्थिति में असाधारण आम बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। नव निर्वाचित निदेशक 25 अक्टूबर 2020 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- यदि एक वैध नामांकन से अधिक नामांकन हो तो चुनाव आयोजित किया जायेगा और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को चुनाव में विजयी माना जायेगा और उसका नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा। साथ ही बैंक की वेबसाइट पर डाला जाएगा एवं स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचना दी जाएगी।

• ईजीएम में रिमोट - ई वोटिंग तथा वोटिंग

यदि बैठक में चुनाव होता है तो वह ई-वोटिंग तथा वोटिंग के माध्यम से होगा।

रिमोट-ई वोटिंग के अनुदेश तथा उनका विवरण इस नोटिस के अनिवार्य अंग हैं तथा नोटिस के साथ अनुलग्न हैं।

चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक के द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूरी की जायेगी। उक्त उद्देश्य के लिए बैंक द्वारा नियुक्त निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष सलाहकार (जांचकर्ता) होंगे। यह प्रक्रिया केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति की देखरेख में होगी जो पर्यवेक्षक का कार्य करेंगे।

• 22 अक्टूबर, 2020 को चुनाव प्रक्रिया

निदेशकों के चुनाव के लिए वोटिंग ई-वोटिंग के द्वारा की जायेगी। इस संबंध में बैठक के अध्यक्ष के द्वारा घोषणा के तुरंत बाद वोटिंग आरंभ होगी तथा अपराह्न 12.30 बजे तक जारी रहेगी। वोटों की संख्या शुक्रवार, 18 सितंबर 2020 को उनके द्वारा रखे गये शेयरों की संख्या के आधार पर होगी।

वोटों की गिनती उसके बाद की जायेगी तथा बैठक के अध्यक्ष या बैंक के द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के द्वारा परिणामों की घोषणा की जायेगी।

- **नामांकन वापस लेना**

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो वह बैंक की कार्य अवधि की समाप्ति अर्थात् शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2020, शाम 5.00 बजे से पूर्व किसी भी समय पत्र या मेल भेजकर अपना नामांकन वापस ले सकता है।

- **विवाद**

यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बँडकें) विनियम, 2007 के विनियम 67 के अनुसार किया जायेगा।

- **उद्धरण**

शेयरधारकों की सुविधा के लिए लागू अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना के प्रासंगिक भाग अनुलग्नक में दर्शाये गये हैं।

- **निदेशकों का हित**

शेयरधारिता की सीमा तक बैंक के निदेशकों तथा ऐसे निदेशक जिन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है, उन्हें कारोबार के पूर्वोक्त मदों में हित तथा संबंध रखने वाले माना जायेगा।

निदेशक बोर्ड के आदेश से

हस्ता/-

(ए. के. दास)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 18 सितम्बर, 2020

निदेशकों का चुनाव - प्रासंगिक अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 के खंड 9 (3) (i) के अनुसरण में अधिनियम की धारा 3 के उप-धारा (2बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी के अनुरूप शेयरधारक निदेशक नियुक्त किए जाएंगे।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) अधिनियम, 1970 तथा बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर तथा बैठकें) अधिनियम, 2007 के प्रासंगिक विनियमों को क्रमशः शेयरधारकों की सूचना के लिए नीचे दर्शाया गया है।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

“प्रयाप्त हित” - खंड 5 (एनई)

- (i) कंपनी के संबंध में इसका अर्थ है कंपनी के शेयरों में किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या नाबालिग बच्चे, या तो अकेले या साथ मिलकर लाभार्थी के रूप में अपना हित धारण करना। इस संबंध में भुगतान राशि 5 लाख रुपया या कंपनी प्रदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत इस दोनों में जो भी कम हो, होनी चाहिए;
- (ii) फार्म के संबंध में इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसकी पत्नी/पति या नाबालिग बच्चों के द्वारा फर्म में लाभार्थी के रूप में अपना हित रखना जो संबंधित फार्म के सभी भागीदारों द्वारा कुल अभिदत्त पूंजी का 10 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए;

सामान्य निदेशकों की निषेधाज्ञा - धारा 16(1)

भारत में किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में ऐसे निदेशक नहीं रहेंगे जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी के निदेशक हैं।

ऋण तथा अग्रिम पर प्रतिबंध - धारा 20

1. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के खंड 77 में विहित कुछ भी विपरीत के बावजूद, कोई बैंककारी कंपनी -
 - क) अपने शेयर के प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी, अथवा
 - ख) निम्नलिखित की ओर से किसी ऋण या अग्रिम प्रदान करने के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं की जानी चाहिए -
 - (i) कंपनी का कोई निदेशक
 - (ii) कोई ऐसा फर्म जिसमें इसके निदेशक भागीदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित रखते हों, अथवा
 - (iii) बैंककारी अधिनियम, 1956 के खंड 25 के अंतर्गत कोई पंजीकृत कंपनी या बैंककारी कंपनी का कोई कंपनी अनुषंगी न हो अथवा कंपनी या अनुषंगी अथवा एक सरकारी कंपनी में बैंककारी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता अथवा जिसमें बहुत अधिक हित रखते हों अथवा
 - (iv) कोई व्यक्ति जिससे इसके निदेशक एक भागीदार या गारंटीकर्ता हो।
2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उप धारा (1) के खण्ड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किंतु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित न की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए।

बशर्त भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिजर्व बैंक उचित समझे।

इसके अतिरिक्त यह भी शर्त है कि यह उप धारा संबंधित निदेशक द्वारा चाहे वह मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।
- 3) उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना की गई कोई भी छूट/माफी अमान्य एवं अप्रभावी होगी।
- 4) जहां उप धारा 2 में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उप धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, यदि वह बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को ऐसा होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

इस धारा में व्याख्या :

- “ऋण या अग्रिम” में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगी जिसे रिजर्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सके।
 - “निदेशक” से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मण्डल या समिति का सदस्य।
- 5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई लेन-देन ऋण या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन हेतु मामला भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

2. बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970**मताधिकार को सीमित करना**

धारा 3(2ई) केन्द्रीय सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा।

निदेशक मंडल का संगठन

धारा 9(3)(i)जहाँ धारा 3 की उप धारा (2ख) के खंड (ग) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी :

- (I) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं हो, तो एक निदेशक:
- (II) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो, तो दो निदेशक।
- (III) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक हो, तो केन्द्र सरकार को छोड़कर, तीन निदेशक अन्य शेयरधारकों द्वारा अपने बीच में से निर्वाचित किए जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर, खंड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक इस योजना में यथा निर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

आगे बशर्ते कि यदि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थाएं कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के आरंभ होने पर अथवा उससे पहले, अनुरूप नए बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या उप-खण्ड (I) अथवा उप-खण्ड (II) अथवा उप-खण्ड (III), जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे अधिक संख्यक निदेशक जो यह कानून आरंभ होने के पूर्व निर्वाचित हुए हैं इस तरह से सेवानिवृत्त होंगे जैसा इस योजना में निर्दिष्ट किया गया है और ऐसे निदेशक उनके कार्यकाल के समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए किसी भी क्षतिपूर्ति दावे के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3क) उक्त खंड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक -

(क) निम्नलिखित विषयों में से एक या एक से अधिक के सम्बंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले होंगे :-

- i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
- ii) बैंकिंग
- iii) सहकारिता
- iv) अर्थशास्त्र
- v) वित्त
- vi) विधि
- vii) लघु उद्योग
- viii) * अन्य कोई विषय जिसमें विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में अनुरूप नए बैंक के लिए उपयोगी हो।

* (आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.एनओ.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के माध्यम से (i) सूचना प्रायोगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यवसाय प्रबंधन को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता के क्षेत्रों को विस्तार दिया है जिससे बैंकों में निदेशक की नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्तियों पर भी विचार किया जा सके)

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो; अथवा

(ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो।

धारा 9 (3कक): उप धारा 3(क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा प्रचलित कानून में अन्य बातों के होते हुए भी बैंक निदेशक बनने के इच्छुक किसी उम्मीदवार को उप धारा 3 के खण्ड (आई) के अधीन इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी ट्रेक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा और अन्य मानदंडों के अनुसार “उचित एवं उपयुक्त” स्थिति में होना चाहिए।

धारा 9 (3कख) : भारतीय रिजर्व बैंक उप धारा 3(कक) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में “उचित एवं उपयुक्त” स्थिति का निर्धारण करने वाले प्राधिकारी, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य विषय जो इस संबंध में आवश्यक अथवा प्रासंगिक हो सकते हैं, को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है।

धारा 9 (3ख) : जहां भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक की उप धारा (3) के खण्ड (आई) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो वह ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक मंडल उप धारा (3क) और (3कक) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, अनुरूप नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक आम बैठक में किसी निदेशक के निर्वाचित होने तक, ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत निर्वाचित है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13 (2): प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या लेखापरीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अनुरूप नए बैंक का अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक का सेवाकाल

खण्ड 9(4) :

निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारिता नहीं करेगा।

निदेशकों की अयोग्यता

खण्ड 10

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा : -

- 1) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोकें रखा या प्रशमन किया हो, या
- 2) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो; या
- 3) यदि उसे फौजदारी न्यायालय द्वारा किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में दोषी ठहराया गया हो; या
- 4) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता हो या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (सहायिकी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी सहायिकी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किन्तु अपवादस्वरूप, वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (ई) एवं (एफ) के अन्तर्गत बैंक के कर्मचारियों में से नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

निदेशक के पद का रिक्त होना

खण्ड 11

1. यदि कोई निदेशक खण्ड 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निरर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) में संदर्भित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक सहित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा

त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।

3. उपर्युक्त उप-धारा के किसी भी प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (ई) अथवा खण्ड (एफ) में उल्लेखित निदेशक का पद तभी रिक्त हो जाएगा जब उस निदेशक का कामगार अथवा कोई कर्मचारी रहना समाप्त हो जाता है इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक जिसका वह निदेशक है का कामगार रहना शामिल नहीं है।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है, तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खण्ड 11क :

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से प्रेरित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (आई) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति का भरा जाना

खण्ड 11ख

- 1) जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है, तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।

बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीने से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जाए।

- 2) उपखण्ड (1) के अंतर्गत निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटन

खंड 12(8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र वह बोर्ड को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उप खण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी में या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में, जिसके साथ या जिससे उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत से कम धारण करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है या
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी या अन्य कर्मचारी है, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के अधीन निदेशक है।

IV. बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बेटके) विनियम, 2007

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग

विनियम 10:

किसी शेयर के दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर होने की स्थिति में, शेयर के अंतरण के मामले को छोड़कर, मतदान करने, लाभांश प्राप्त करने, नोटिस का निष्पादन करने और बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित अन्य सभी या किन्हीं मामलों में प्रथम नामधारक को उसका एकल धारक समझा जाएगा।

निदेशकों का चयन आम सभा में होगा

विनियम 63

- (i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड (i) के अनुसार निदेशक का चयन केन्द्र सरकार के अलावा पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा बैंक ऑफ इंडिया की आम सभा में उनके बीच में से ही किया जाएगा।
- (ii) जहाँ किसी निदेशक का चयन आम सभा में किया जाना है, इस आशय की सूचना आम सभा बुलाने की सूचना में दी जाएगी। इस प्रकार के प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा रिक्तियाँ जिनके संबंध में चुनाव किया जाना है, उनके विवरण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 64

- (i) इन विनियमों के विनियम 55 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के लिए रजिस्टर में उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है।
- (ii) इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत डाक पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या तथा उनके शेयरों के पंजीकृत किए जाने की तारीख तथा चुनाव किए जाने की निर्धारित तारीख को, जिसको बैठक होने वाली है, उनके मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और आवेदन पर इस सूची की प्रतियाँ निदेशक बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय किए जाने वाले मूल्य पर प्रधान कार्यालय में बिक्री के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध होनी चाहिए।

चुनाव के लिए प्रत्याशियों का नामांकन:

विनियम 65

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव हेतु किसी भी प्रत्याशी का कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कि
 - (क) वह बैंक ऑफ इंडिया के कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का शेयरधारक न हो।
 - (ख) उसे अधिनियम के अंतर्गत अथवा योजना के अंतर्गत नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तारीख तक निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो।
 - (ग) उसने अपने नाम पर धारित चाहे संयुक्त रूप से अन्य के साथ या एकल नाम पर बैंक के सभी शेयरों की मांग राशियों का निर्धारित तारीख के पहले भुगतान न कर दिया हो।
 - (घ) नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अंतर्गत निदेशक चुनने के लिए पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों अथवा उनके विधिवत नियत अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए बशर्ते कि कोई शेयरधारक जो एक कंपनी है, के द्वारा किया गया नामांकन उसके निदेशकों द्वारा पारित संकल्प के तहत किया जाए और जहां ऐसा किया गया हो वहाँ पर बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित करके इसकी एक प्रति बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए और इस प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
 - (ङ.) नामांकन के साथ न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, अश्वोर्सेज के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक के अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के सामने हस्ताक्षरित की गई यह घोषणा संलग्न अथवा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है और यह कि उसे अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के अंतर्गत निदेशक चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
- (ii) कोई भी नामांकन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि यह इससे संबंधित सभी दस्तावेजों के साथ प्रत्येक दृष्टिकोण से पूर्ण रूप में बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम 14 दिन पहले प्राप्त न हो जाए।

नामांकनों की संवीक्षा (जांच):

विनियम 66:

- (i) नामांकनों की जांच नामांकनों के प्राप्त होने की निर्धारित तारीख के आगामी प्रथम कार्य-दिवस को की जाएगी और यदि किसी नामांकन को विधिमान्य नहीं पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा और निरस्त करने का कारण दर्ज किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन होता है तब इस प्रकार से नामित व्यक्ति को तुरन्त चुना गया मान लिया जाएगा और उसका नाम और पता इस प्रकार से चुने जाने के लिए प्रकाशित किया जाएगा। इस प्रकार की स्थिति में इस आशय के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक पूर्ण रूप से उपर्युक्त चुनाव के लिए ही बुलाई गई हो तो वह रद्द हो जाएगी।

- (ii) ऐसी स्थिति में जब चुनाव हो रहा हो तथा जब विधिमाम्य नामांकनों की संख्या चुने जाने वाले निदेशकों से अधिक हो तो वह प्रत्याशी जिसे बहुमत प्राप्त होगा उसे चुना हुआ माना जाएगा।
- (iii) वह निदेशक जिसका चयन किसी मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए किया गया है उसने अपना पदभार उस तारीख से संभाल लिया माना जाएगा जिस तारीख को उसका चयन किया गया अथवा जिस तारीख से उसका चुनाव किया गया माना गया है।

चुनाव-विवाद

विनियम 67:

- (i) यदि किसी ऐसे व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता के बारे में जिसका चयन हुआ है अथवा जिसे चुना हुआ घोषित किया गया है अथवा किसी निदेशक के चुने जाने की वैधता के बारे में कोई संदेह अथवा विवाद उठता है तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, प्रत्याशी या शेयर-धारक जो इस प्रकार के चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है, वह इस प्रकार के चुनाव के परिणाम की घोषणा के 7 दिन के भीतर बैंक ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इसकी लिखित सूचना दे सकता है और उक्त सूचना में उसे उन आधारों का पूर्ण विवरण देना होगा जिन पर वह चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद करता है।
- (ii) उप विनियम (i) के अंतर्गत इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक इस प्रकार के संदेह या विवाद को निर्णय के लिए उस समिति को भेज देंगे जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के कार्यपालक निदेशक और कोई दो निदेशक हों जिन्हें अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत नामित किया गया है।
- (iii) उप विनियम (ii) में उल्लिखित समिति ऐसी जांच करेगी जैसा वह ठीक समझे और यदि उनके सामने यह आता है कि चुनाव विधिमान्य चुनाव था तब वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी अथवा यदि उनके समक्ष ऐसा पाया जाता है कि चुनाव विधिमाम्य नहीं था, तब वह जांच प्रारंभ होने के 30 दिन के भीतर ऐसे आदेश देंगे और नया चुनाव कराने सहित, जैसा कि समिति परिस्थितियों के अनुरूप ठीक समझे, निर्देश जारी करेगी।
- (iv) इस विनियम के अनुरूप ऐसी समिति द्वारा दिया गया आदेश व निर्देश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों का मताधिकार :

मताधिकार का निर्धारण :

विनियम 68

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में दिए गए प्रावधानों के अधधीन, आम बैठक की तारीख के पहले रजिस्टर बंद होने की तारीख पर जिसे शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसे प्रत्येक शेयरधारक को हाथ उठाकर एक मत देने का अधिकार और यदि चुनाव होता है तो उसके नाम पर दर्ज प्रत्येक शेयर के लिए उसे एक मत देने का अधिकार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गये प्रावधानों के अधधीन, उपर्युक्त के अनुसार मत देने के लिए पात्र प्रत्येक शेयर धारक, जो एक कंपनी नहीं है, जो स्वयं अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो अथवा जो कंपनी है वह उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित हो, उसे हाथ उठाकर वोट देने की दशा में एक मत देने और चुनाव की स्थिति में उप विनियम (i) में यहां उपर्युक्त के अनुरूप उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए पात्र होगा।

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के लिए 'कम्पनी' से तात्पर्य कोई भी कॉरपोरेट निकाय से है।

- (iii) बैंक के शेयर धारक आम सभा में भाग लेने एवं वोट देने के लिए पात्र होंगे तथा वे किसी अन्य व्यक्ति को (शेयरधारक हो अथवा नहीं) उनके स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं वोट देने के लिए परोक्षी नियुक्त करेंगे, परंतु ऐसे किसी परोक्षी को इस प्रकार की बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से मतदान

विनियम 69:

- (i) कोई शेयर धारक, वह केन्द्र सरकार हो अथवा कम्पनी, एक संकल्प के द्वारा, जैसा मामला हो, अपने किसी अधिकारी को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी आम सभा में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (जिन्हें इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि कहा गया है) केन्द्र सरकार की ओर से अथवा जिस कम्पनी का वह प्रतिनिधित्व करता है उसकी ओर से इस प्रकार से उनके अधिकार का प्रयोग कर सकेगा जैसे कि वह स्वयं बैंक का शेयर धारक हो, इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो व्यक्तियों के नाम पर हो सकता है और ऐसे मामलों में इनमें से कोई व्यक्ति केन्द्र सरकार/कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।

- (ii) बैठक के लिए निर्धारित की गई तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक ऑफ इंडिया के प्रधान कार्यालय में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्ति किए जाने संबंधी संकल्प की उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जमा न कराने की दशा में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में न तो भाग ले सकेगा और न ही मतदान कर सकेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक के “उचित एवम उपयुक्त” अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3ए) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना आरबीआई/डीबीआर/201-20/71 मास्टर निदेश डीबीआर एपीपीटी सं.9/29.67.001/2019 दिनांक 2 अगस्त, 2019 द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970/80 की उप-धारा 9(3)(i) के उपबंधों के अंतर्गत “उपयुक्त और उचित” मानदंड निर्धारित किए गये हैं, जिन्हें पीएसबी के बोर्ड में निदेशक के रूप में निर्वाचित किये जा रहे व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाना है।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं

“उपयुक्त और उचित” स्तर आदि का निर्णय करने के लिए प्राधिकारी, पद्धति/क्रियाविधि तथा मानदंड निम्नानुसार होंगे:-

• प्राधिकारी :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंक एक, “नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति” का गठन करें, जिसमें निदेशक बोर्ड में से कम-से-कम तीन गैर-कार्यपालक निदेशक रखे जाएं। निदेशक बोर्ड अपने में से किसी एक निदेशक का नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नामित करें। कोरम अध्यक्ष सहित तीन सदस्यों का होगा। पहले से नामित किसी सदस्य की अनुपस्थिति में आगामी बैठक के लिए उसके स्थान पर किसी अन्य गैर कार्यपालक निदेशक को निदेशक बोर्ड द्वारा नामित किया जाए। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड उसके कार्यकाल का निर्णय कर सकता है।

• पद्धति और क्रियाविधि :

बैंक चुनाव हेतु अपना नामांकन दर्ज करने वाले व्यक्तियों से अनुलग्नक-ए में दिए गए प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा और वचन प्राप्त करेगा। समिति नामांकन की मंजूरी हेतु निर्धारित अंतिम तारीख के बाद बैठक करेगी तथा आरबीआई परिपत्र में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर तय करेगी कि उक्त व्यक्ति की उम्मीदवारी मंजूर की जानी चाहिए या नहीं।

समिति की बैठक में हुई चर्चा को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित प्रकार से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए तथा यदि मतदान हुआ है तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवार की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार निर्दिष्ट अनिवार्यताओं को पूरा करता है या नहीं यह निर्णय करने के लिए यदि आवश्यक समझे उचित प्राधिकारी/व्यक्ति से सम्पर्क कर सकती है।

• मानदंड :

नामांकन समिति को नीचे दिये गये बोर्ड मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों के “उपयुक्त तथा उचित” स्तर का निर्धारण करना चाहिए:

- आयु** - चुनाव हेतु नामांकन दर्ज करने के लिए निर्धारित कट-ऑफ तारीख को उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- शैक्षणिक अहर्ता** - उम्मीदवार कम से कम स्नातक होनी चाहिए।
- अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र** - उम्मीदवार को आरबीआई परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी..बीसी सं.39/2.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के साथ पठित बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9(3ए)/(ए)/सेबी अधिनियम की धारा 19 ए(ए) में वर्णित एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष जानकारी या प्रायोगिक अनुभव होना आवश्यक है।
- अयोग्यता** : सेबी अधिनियम की धारा 22/राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/80: के खंड 10 में निर्धारित ‘निदेशक की अयोग्यता’ के अतिरिक्त :

(ए) उम्मीदवार किसी बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या वित्तीय संस्था (एफआई) या बीमा कम्पनी में बोर्ड का सदस्य या किसी अन्य बैंक एनओएफएचसी धारक नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण : इस उप-पैरा एवं उप पैरा (सी) के उद्देश्य हेतु, “बैंक” शब्द किसी बैंकिंग कम्पनी, अनुरूप नए बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शामिल होगा।

(बी) किराया खरीद, वित्त पोषण, धन उधार देना, निवेश, पट्टे पर देने एवं बैंकिंग संबंधित अन्य गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में चयनित निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी कम्पनियों के निवेशकों का उन कम्पनियों पर प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है तो, उन्हें निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोग घोषित नहीं किया जाएगा।

- (सी) कोई भी व्यक्ति जिसने अतीत में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में चाहे निरंतर या अंतराल पर छः वर्ष तक किसी बैंक (जिसमें वह बैंक शामिल है जिसमें उसने अतीत में निदेशक के रूप में कार्य किया है)/एफआई/आरबीआई/बीमा कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित/पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता है।
- (डी) ऐसे व्यक्ति को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- (ई) ऐसा व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अर्थात् क्षेत्रीय परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद इत्यादि के रूप में अधिसूचित) का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- (एफ) ऐसे व्यक्ति को किसी सनदी लेखाकार फर्म के साझीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो।
- (जी) ऐसे व्यक्ति को किसी सनदी लेखाकार फर्म के साझीदार के रूप में कार्यरत नहीं होना चाहिए जो कि वर्तमान में किसी बैंक के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में संबद्ध हो, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन भरा गया है।
- (v) **कार्यकाल** - चुने गए निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और वह पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा : बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह वर्ष की अवधि से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकेगा, चाहे उसने निरंतर या अंतराल पर कार्य किया हो।

(vi) **व्यावसायिक प्रतिबंध -**

- (क) ऐसे व्यक्ति का न तो संबंधित बैंक के साथ कोई कारोबारी संबंध (विधिक सेवाएं, परामर्श सेवाएं इत्यादि सहित) होना चाहिए न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संबद्ध होना चाहिए जो कि उस बैंक के साथ कारोबारी हितों में टकराव उत्पन्न करे।
- (ख) ऐसे व्यक्ति के किसी बैंक या अन्य किसी बैंक वाली किसी एनओएफएचसी के साथ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक संबंध नहीं होने चाहिए।

बशर्ते कि चुनाव हेतु नामांकन भरते समय बैंक के साथ ऐसा संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को मद (बी) के अंतर्गत अपेक्षा को पूरा करने वाला मान लिया जाएगा, ऐसा व्यक्ति समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में चुना जाता है और निर्वाचित होता है, तो बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पूर्व उसका ऐसा संबंध समाप्त हो जाएगा।

- (vii) **पिछला कार्य निष्पादन रिकार्ड एवं निष्ठा** - ऐसे व्यक्ति को किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या विधि प्रवर्तन एजेंसी से प्रतिकूल नोटिस नहीं मिला हो तथा वह व्यक्ति किसी भी ऋण संस्थान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंकों को निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करना चाहिए :

- (क) निदेशक का पदभार ग्रहण करने से पहले ऐसे व्यक्ति को आरबीआई के संबंधित परिपत्र के अनुलग्नक-2 में दिए गए प्रारूप में निष्पादित अनुबंध (कवनेंट) विलेख।
- (ख) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को इस संबंध में एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले उपलब्ध कराई सूचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ग) जहां निर्वाचित निदेशक यह सूचित करते हैं कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन है, तो बैंक ऐसे निदेशक से नए अनुलग्नक-1 को प्राप्त करेगा जिसमें परिवर्तन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त परिपत्र यह भी व्यवस्था करता है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करना

इसके अतिरिक्त,

- (क) चयनित सी.ए. निदेशकों/उनके फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटन सहित, सुरक्षा की उचित व्यवस्था स्थापित करना। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना कि वे उनके/फर्म के ग्राहकों के, बैंक ऋण/निवेश के निर्णय में शामिल न हों। चयनित सी.ए. निदेशक के लिए यह आवश्यक है कि वे अनिवार्यतः इस पूरी प्रक्रिया से स्वयं को अलग करें तथा इस संबंध में शर्तों पर हस्ताक्षर करें।
- (ख) यह व्यवस्था करना कि चयनित निदेशक, अपने हितों की कारोबारी इकाइयों में निदेशक होने का पूर्ण तथा उचित प्रकटन करें। इसके अतिरिक्त संबंधित निदेशक, उनसे संबंधित संस्थाओं से संबद्ध बैंक के ऋण/निवेश के निर्णयों से व्यक्तिगत रूप से स्वयं को दूर करें।
- (ग) निदेशक के रूप में चयनित किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में पद छोड़ने के दो वर्ष के बाद की अवधि तक संबंधित बैंक में कोई पेशेवर काम आर्बिट्रि न करना।

इसके अतिरिक्त परिपत्र व्यवस्था करता है कि

जहाँ चयनित निदेशक :

(क) निम्नलिखित के संबंध में विफल होता है:

- (i) 'शर्तों का विलेख' या घोषणा प्रस्तुत करना; या
- (ii) उचित प्रकटन करना; या
- (iii) ऋण/निवेश संबंधी निर्णयों में सहभागिता करने से बचना, जहाँ उसका हित है; या

(ख) अधूरा या गलत प्रकटन करना, या

(ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार उन्हें "अयोग्य तथा अनुचित" प्रतिपादित करते हैं।

ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि वे एसबीआई अधिनियम की धारा 19ए की उप-धारा(2)/बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तथा वे इसके परिणाम के लिए जिम्मेदार होंगे।

सम्बन्धित समिति यह देखेगी कि क्या किसी उपर्युक्त मानदंड का अनुपालन न होना, मौजूदा चयनित निदेशक/प्रस्तावित अभ्यर्थी को बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में दायित्वों के निर्वहन को बाधित करेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जो किसी प्राधिकरण/विनियामक एजेंसी के प्रतिकूल रूप से ध्यान (नोटिस) में आए हैं या यदि वे किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं से किसी ऋण की चूक या दिवालिया कार्रवाई से संबंधित हैं तो ऐसे निदेशक को बैंक के बोर्ड में निदेशक होने के लिए अयोग्य तथा अनुचित माना जाएगा।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के चयन के लिए दिशानिर्देश- भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितंबर, 2013 माध्यम से लागू और एमओएफ पत्र सं. एफ. सं. 16/51/2012-बीओआई दिनांक 25 मार्च, 2015 और 20 जुलाई, 2016 के माध्यम से संशोधित दिनांक 01 जून, 2011 के भारत सरकार के दिशानिर्देश (भारत सरकार के वर्तमान दिशानिर्देश)

निम्नलिखित मानदंडों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि के बोर्ड में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक (एनओडी) के नामांकन के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।

सामान्य

- कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉरपोरेट लॉ, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी क्षेत्र में विशेष अकादमिक प्रशिक्षण या व्यवहारिक अनुभवधारक महत्वपूर्ण व्यक्ति पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। किसी वरिष्ठ पद पर 20 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव, संबंधित क्षेत्र में स्थापित कुशलता (किसी प्रतिष्ठित संस्थान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया किसी असफल होते हुए संगठन में आमूलभूत परिवर्तन किया हो) को वरीयता दी जाएगी।
- कुल 20 वर्षों के अनुभव धारक सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे उच्च स्तर पर कम से कम 10 वर्षों का अनुभव। सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष बाद, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी की उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हो। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सेवारत एमडी/ईडी का किसी भी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के शिक्षाविद निदेशक और प्राध्यापक (प्रोफेसर) जिन्हें 20 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।
- ऐसे सनदी लेखाकार जिन्हें 20 वर्षों का अनुभव हो (लेखापरीक्षा के अनुभव को हटाकर) को भी वरीयता दी जाएगी।

शिक्षा

- एनओडी किसी भी वर्ग में कम से कम स्नातक होना चाहिए, अधिमान्यतः कारोबार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता।

आयु

- समिति द्वारा सिफारिश की तारीख पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्य अनुभव :

आमतौर पर पेशेवरों/शिक्षाविदों को उनके क्षेत्र विशेष में काम करने का 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अयोग्यता :

- बैंक/वित्तीय संस्था (एफआई)/आरबीआई/इंश्योरेंस कंपनी में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पहले से ही निदेशक के रूप में होने पर किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था में एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार नहीं किया जा सकता है।
- हायर परचेज, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों के साथ जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। यदि हायर परचेज, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देना और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न निवेशकों का किसी कंपनी पर प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है तो, एनओडी के रूप में नियुक्त होने के लिए उन्हें आयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा।
- कोई भी व्यक्ति, जिसने पहले किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में दो कार्यकालों या छः वर्ष जो भी अधिक हो, बैंक/वित्तीय संस्था के बोर्ड में सेवाएं दी हों, को एनओडी के रूप में नामित नहीं किया जा सकता है।

कार्यकाल

- किसी भी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में 6 वर्षों के लिए, लगातार या अंतराल पर।

व्यावसायिक प्रतिबंध

- यदि कोई सनदी लेखाकार फ़र्म किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है तो उस सनदी लेखाकार फ़र्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई सनदी लेखाकार फ़र्म किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है तो उस सनदी लेखाकार फ़र्म का कोई भी भागीदार उसी बैंक में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

- मतदान की अवधि 19 अक्टूबर, 2020, सोमवार प्रातः 10.00 बजे से आरम्भ होगी तथा 21 अक्टूबर, 2020 बुधवार सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, बैंक के जो शेयरधारक भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं, वे 18 सितंबर 2020, शुक्रवार की कट-ऑफ दिनांक (रिकॉर्ड दिनांक) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा मतदान हेतु ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा।
- जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है वे बैठक स्थल पर मतदान हेतु हकदार नहीं होंगे।
- शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-आन करना होगा।
- “shareholders” मॉड्यूल पर क्लिक करें।
- अब अपने यूजर आईडी की प्रविष्टि करें।
(ए) सीडीएसएल के लिए: 16 डिजिट की बेनिफिशिएरी आईडी
(बी) एनएसडीएल के लिए: 8 कैरेक्टर का डीपीआईडी और उसके बाद 8 डिजिट का क्लायंट आईडी
(सी) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हों उन्हें कंपनी में पंजीकृत फोलियो नंबर की प्रविष्टि करनी होगी।
- डिस्प्ले किए गए वेरिफिकेशन इमेज की प्रविष्टि करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास डीमैट स्वरूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन किया है और किसी कंपनी पर पहले ई-वोट किया है, तब आप अपने वर्तमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप पहली बार ई-वोटिंग कर रहे हैं तो निम्नलिखित का पालन करें:-

	डीमैट और भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों के लिए
पीएएन (PAN)	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक *पीएएन की प्रविष्टि करें (डीमैट एवं भौतिक स्वरूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी में अपना पीएएन अपडेट न किया हो उनसे अनुरोध है कि कंपनी /आरटीए द्वारा भेजी गई क्रम संख्या का प्रयोग करें या कम्पनी/आरटीए से संपर्क करें।
लामांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (DOB)	लॉगइन करने के लिए आपके डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में उल्लिखितानुसार लामांश बैंक विवरण या जन्मतिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) प्रविष्टि करें। • यदि डिपॉजिटरी या कंपनी में ये दोनों ब्यौरे रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं तो, कृपया अनुदेशों (v) में उल्लिखितानुसार लामांश बैंक ब्यौरों के फील्ड में मेम्बर आईडी/फोलियो नंबर का उल्लेख करें।

- इन ब्यौरों की उचित प्रविष्टि के पश्चात ‘SUBMIT’ पर क्लिक करें।
- जिन शेयरधारकों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों वे सीधे company selection स्क्रीन पर पहुंचेंगे। तथापि, डीमैट स्वरूप में शेयर रखने वाले सदस्य अब password creation मेन्यू में पहुंचेंगे, जहां उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अनिवार्य रूप से अपना लॉग इन पासवर्ड डालना होगा। कृपया नोट करें कि डीमैट धारकों को किसी अन्य कंपनी के संकल्प हेतु वोटिंग करने के लिए भी इसी पासवर्ड का प्रयोग करना होगा बशर्त वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुने। विशेष रूप से यह सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी और को न बताएं और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- जिन सदस्यों के पास भौतिक स्वरूप में शेयर हों, उन ब्यौरे का उपयोग केवल इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-नोटिंग हेतु किया जा सकता है।
- कृपया बैंक ऑफ इंडिया के ईवीएसएन पर क्लिक करें जिसे आप वोट करना चाहते हैं।
- वोटिंग पृष्ठ पर, आप कैंडिडेट का नाम तथा उनका प्रोफाइल देख सकेंगे, आपको उसमें से केवल एक ही कैंडिडेट का चयन करना है और सबमिट(SUBMIT) पर क्लिक करना है।
- एक कन्फर्मेशन बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते तो, ‘OK’ पर क्लिक करें अन्यथा आप वोट बदलने के लिए ‘CANCEL’ पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।
- संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- वोटिंग पेज पर ‘click here to print’ विकल्प पर क्लिक कर आप अपने द्वारा की गई वोटिंग का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
- यदि डीमैट खाताधारक पासवर्ड भूल गया हो तो यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड की प्रविष्टि करें तथा ‘Forget Password’ पर क्लिक करें और सिस्टम जो ब्यौरे मांगे उनकी प्रविष्टि करें।
- शेयरधारक सीडीएसएल के ‘M-Votting’ मोबाइल ऐप के माध्यम से भी मतदान कर सकते हैं। एम-वोटिंग ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया मोबाइल से मतदान करते समय मोबाइल एप के अनुदेशों का पालन करें।

ऐसे शेयरधारकों हेतु प्रक्रिया जिनके ई-मेल पते इस नोटिस में प्रस्तावित संकल्प हेतु ई-वोटिंग के लिए लॉगइन प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है :

- भौतिक शेयरधारकों हेतु - कृपया आवश्यक ब्यौरे, जैसे फोलियो सं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित

प्रति) को कम्पनी/आरटीए की ई-मेल आईडी पर ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।

2. डीमैट शेयरधारकों हेतु : कृपया डीमैट खाते के आवश्यक ब्योरे (सीडीएसए-16 अंकों की लामार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंक की डीपीआईआई+सीएलआईडी), नाम, ग्राहक के मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्कैन की गई स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) को कम्पनी/आरटीए की ई-मेल आईडी पर ई-मेल द्वारा प्रेषित करें।
3. कम्पनी/आरटीए सीडीएसएल के साथ समन्वय करेगी तथा ऊपर उल्लिखित शेयरधारकों को लॉग-इन संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराएगी।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. शेयर धारकों को सीडीएसएलई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वीसी/ओएवीएम द्वारा ईजीएम/एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। शेयरधारक <https://www.evotingindia.com> पर शेयरधारक/सदस्य के अंतर्गत रिमोट ई-वोटिंग ब्योरे का प्रयोग कर इसमें भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम हेतु लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगइन में उपलब्ध होगा, जहाँ कम्पनी का ईवीएसएन दर्शाया जाएगा।
2. शेयरधारकों से विशेष अनुरोध है कि वे बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में भाग लें।
3. तत्पश्चात्, शेयरधारकों को कैमरा को अनुमति देने और बैठक के दौरान किसी भी बाधा से बचने के लिए अच्छी गति का इंटरनेट प्रयोग करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया नोट करें कि मोबाइल हॉटस्पॉट से जोड़कर लेपटॉप या टैबलेट या मोबाइल डिवाइस के माध्यम से भाग लेने वाले प्रतिभागी अपने संबंधित नेटवर्क की अस्थिरता के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा का अनुभव कर सकते हैं। अतः उपर्युक्त किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ कम से कम हों इसके लिए हम स्थिर वाईफाई या एलएएन (लैन) कनेक्शन का प्रयोग करने की सलाह देते हैं।

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

1. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग हेतु ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार ही है।
2. जो शेयरधारक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित थे तथा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है और ऐसा करने से उन्हें अन्यथा रोका नहीं गया है, वे ही ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के पात्र होंगे।
3. यदि शेयरधारकों द्वारा ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से कोई मतदान किए गए हैं तथा यदि उन्हीं शेयरधारकों ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे शेयरधारकों द्वारा किए गए मतदान को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित शेयरधारकों के लिए ही उपलब्ध है।
4. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। तथापि, वे ईजीएम में मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

xix. गैर-एकल शेयरधारकों और अभिरक्षकों हेतु नोट :-

- गैर एकल शेयर धारक (अर्थात् एकल व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और अभिरक्षक को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और कॉरपोरेट (corporate) के मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई मेल की जानी चाहिए। लॉग इन ब्योरा प्राप्त करने के पश्चात् एडमिन लॉगइन और पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित करना होगा। अनुपालन यूजर उन खातों को लिंक कर सकेगा जिसके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लॉगइन खाते की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जाए और खातों के अनुमोदित होने पर वे अपना वोट दे सकेंगे।
- अभिरक्षक के पक्ष में जारी बोर्ड संकल्प और पॉवर ऑफ अटर्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, पीडीएफ फॉर्मेट में सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए ताकि स्कूटिनाइजर इसकी जांच कर सके।
- गैर-एकल शेयरधारकों को विकल्पतः संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी, जो मतदान के लिए प्राधिकृत है, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर सहित स्कूटिनाइजर को scrutinizer@snaco.net तथा बैंक को ई-मेल पता अर्थात् headoffice.share@Bankofindia.co.in पर भेजना अपेक्षित होता है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है तथा उसे सत्यापन हेतु स्कूटिनाइजर के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है।

ईजीएम एवं ई-वोटिंग के संबंध में यदि कोई प्रश्न या समस्या है तो आप अक्सर पूछे गए प्रश्न ("एफएक्यू") और www.evotingindia.com में उपलब्ध हेल्प खण्ड के तहत ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdeskevoting@cdslindia.com को ईमेल भेज सकते हैं या श्री नितिन कुंडर (022-23058738) या श्री राकेश दलवी (022-23058542) या श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) से संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान सुविधा से संबंधित सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन प्लूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्ड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल की जा सकती हैं या 022-23058738 / 022-23058542/43 पर कॉल करें।

अन्य अनुदेश :

1. स्कूटिनाइजर ईजीएम में मतदान के परिणाम के तुरन्त बाद, पक्ष या विपक्ष में किए गए कुल मतदान, यदि कोई है, की समेकित स्कूटिनाइजर रिपोर्ट बनाएगा तथा उसे अध्यक्ष/एमडी एवं सीईओ या उनके द्वारा लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराएगा।
2. स्कूटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत कम्पनी की वेबसाइट www.bankofindia.co.in तथा सीडीएसएल की वेबसाइट <https://www.evotingindia.com> उपलब्ध करा दिए। कम्पनी उसी समय परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड, जहाँ कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को प्रेषित करेगी।

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of **Bank of India** will be held on Thursday, the **22nd October, 2020 at 11.00. a.m.** through Video Conference ('VC') / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following. The Head Office of the Bank shall be the deemed venue of the meeting.

Special Business

Item No. 1

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 20, 2016 and any amendments made thereunder (hereinafter referred as "GOI Guidelines") by passing the following resolution:-

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with Scheme, Regulations and RBI Notification and GOI Guidelines be and is hereby elected as Director of the Bank to assume office from 25th October 2020 and hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By Order of the Board of Directors

Sd/-

Place : Mumbai

Date : 18th September, 2020

(A K Das)

Managing Director & CEO

NOTES

- At the time of issue of this Notice of EGM, due to COVID-19 pandemic there is lockdown restriction on assembly of persons. In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased, the Bank may in addition to conducting the Meeting through VC, consider holding the EGM at its Auditorium at the Head Office premises where shareholders may be able to attend. The Bank will intimate the shareholders of the change in mode of conduct of the Meeting by intimating the Stock Exchanges, publishing notice in the newspapers, and also hosting the same in the website of the Bank.

- EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

- VOTING RIGHTS:**

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Specified Date** i.e., on **Friday, the 18th September, 2020** will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of one Shareholders' Director of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on the **Specified Date** to vote on the items on the agenda.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting.

- **APPOINTMENT OF PROXY:**

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, Shareholder can attend and vote at the meeting directly and there is no requirement to appoint a Proxy to attend on vote on his / her behalf.

In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased and in the event the Meeting is conducted at the Auditorium and the Shareholders are entitled to attend the meeting, Shareholders may appoint Proxies (other than the employees of the Bank) and submit the same to the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai - 400 051 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the bank on Saturday the 17th October, 2020.

- **APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai-400 051 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to headoffice.share@bankofindia.co.in, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday **the 17th October, 2020**.

- **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:**

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, no Attendance Slip is required to attend the EGM

In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased and in the event the Meeting is conducted at the Auditorium and the Shareholders are entitled to attend the meeting, the Attendance Slip Cum entry Pass will be made available at the Venue for the benefit of the Shareholders.

- **CHANGE OF ADDRESS:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

Bigshare Services Private Limited,
Unit : Bank of India,
1st Floor, Bharat Tin Works Building
Opp. Vasant Oasis Marol, Andheri East, Mumbai 400 059
Tel : 22- 62638200, Fax : 22 - 62638299
E mail: investor@bigshareonline.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address and ECS mandate details only to their respective Depository Participant(s).

EXPLANATORY STATEMENT

ELECTION OF DIRECTORS:

Your Bank had elected two Directors viz. Shri. D Sarkar and Shri D Harish, from amongst the shareholders other than Central Government on 25th October 2017 and their term comes to an end on 24th October 2020. As the public shareholding in the Bank has reduced below 16% of the paid-up capital of the Bank, the Bank is entitled to elect only one Shareholders' Director.

With a view to fill in the vacancy that will arise on 25th October 2020, your Bank proposes to conduct Election of one Shareholder Director at an Extraordinary General Meeting to be convened on **Thursday, 22nd October, 2020**.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. One Director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination & Remuneration Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall assume office from 25th October, 2020 and will hold office for a period of three years till 24th October 2023.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Regulation Act/ Scheme/ Regulations/Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (n-e) Section 16 (1) Section 20	➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70	➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative ➤ Proxies
RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and 20 th July 2016.		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks
RBI Master Circular dated 1st July 2014 - Master Circular DBOD. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and GOI Guidelines dated 25 March 2015 and 20th July 2016 will be hosted in the Bank's website. www.bankofindia.co.in Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Bank of India at their Head Office at Headoffice.share@Bankofindia.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. **Thursday, 8th October, 2020.**

PARTICIPATION IN ELECTION:

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the **Specified Date** i. e., on Friday, 18th September, 2020 shall be entitled to participate i.e., **nominate, contest and vote** in election of one Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

(a) QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
 - agriculture and rural economy
 - banking
 - co-operation
 - economics
 - finance
 - law
 - small scale industry

Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks.

- represents the interest of depositors; or
- represents the interest of farmers, workers and artisans

(b) In terms of Section 9(3AA) of the Act a candidate being a shareholder of the Bank desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status. Further the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
 - if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
 - If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-official Director in Public Sector Banks by the **Nomination and Remuneration Committee of the Board** of the Bank.

• List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007, as amended, a copy of the List of Shareholders will be available (hard copy / soft copy) with the General Manager, Finance Department at Head Office of the Bank from Thursday, the October 01, 2020 onwards for purchase by shareholders on payment 1,00,000 (Rupees one lac only) plus taxes as applicable by Demand Draft/Pay Order in favour of Bank of India payable at Mumbai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) between 3.00 P. M. to 5.00 P.M for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders at Head Office of the Bank. Due to COVID Pandemic Situation, Shareholders who are desirous of inspecting the Register of Shareholders are required to intimate the Company Secretary of the Bank at headoffice.share@bankofindia.co.in and on 022-66684490 atleast one working day before the day of inspection. The persons visiting the Bank may be subject to medical tests, if any, by the Bank's Management.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of ₹ 10/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

• NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and letter dated 3rd September 2013 vide Ref F No. 16/83/2013- BO.I issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issue on March 25, 2015 and July 20, 2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- He / she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on **Friday, the September 18, 2020** being the **Specified Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
 - As on **Thursday, October 08, 2020**, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Act / Scheme / Regulation / RBI Notification/GOI Guidelines.
 - The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.

- The nomination is accompanied or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations/ RBI Notification and GOI Guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website i.e. www.Bankofindia.co.in)
- He / She is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 (hereinafter referred to as "the Regulations") and Notification RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines dated 25.03.2015, 20.06.2016 and any amendment thereof as applicable to Non Official Directors, from being elected as a director.

• **SUBMISSION OF NOMINATION FORMS**

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit:

- Duly filled in Declaration Form;
- Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc., in a sealed envelope to the Company Secretary, Bank of India, Head Office, Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051 on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before 5.00 p.m., on **Thursday, the 8th October, 2020**.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

• **SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:**

- Nominations shall be scrutinized on Friday, the 09th October, 2020 the first working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Notification and GOI Guidelines. As restriction imposed by RBI Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates
- The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC of the Board seek further information, documents from the Candidates in support of his/her candidature.
- If there is only one valid nomination for the said vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event Extraordinary General Meeting will not be conducted. The newly elected Director will assume office on 25th October, 2020.
- If there are more than One valid nomination, Election will be held and candidate polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

• **Remote - E Voting and Voting at EGM**

In the event Elections are held, the same will be held through remote e-voting and Voting at the meeting.

Instructions for Remote Evoting and the details thereof forming integral part of this notice is being provided elsewhere in this notice.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an Independent Consultant (Scrutinizer) appointed for the said purpose by the Bank and might be overseen by the Central Government Nominee who may act as an Observer and shareholder Scrutinizer.

- **Voting Process on October 22, 2020**

The voting for Election of Director shall be done through E Voting and will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and continue upto 12.30 p.m. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on Friday, 18th September, 2020.

The tabulation of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman of the Meeting or any other Official of the Bank authorised in this behalf and published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

- **Withdrawal of Nominations**

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so by sending a letter or Mail at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m., on Friday, the October 16, 2020.

- **Disputes:**

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007

- **Extracts:**

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme / Regulations / Notification are annexed for the benefit of the shareholders.

- **Interest of Directors:**

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By Order of the Board of Directors

Sd/-

(A K Das)

Managing Director & CEO

Place : Mumbai

Date : 18th September, 2020

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 2007 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest — Section 5 (ne)

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid upon which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm;]

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company (not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company, of which (or the subsidiary or the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

PROVIDED that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

PROVIDED FURTHER that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the

Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section –

- a) “Loan or advance” shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- b) “Directors” includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- I. not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- II. more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- III. more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors

to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

PROVIDED FURTHER that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall –

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -
 - (i) agriculture and rural economy
 - (ii) Banking
 - (iii) Co-operation
 - (iv) Economics
 - (v) Finance
 - (vi) Law

(vii) Small scale industry

(viii) *Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new Bank.

* (RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

(B) represents the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard. 9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Extraordinary General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9(4) :

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

- 1) If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2) The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3) Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee, other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- 4) Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A :

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B

- 1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors
- 2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8) A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. BANK OF INDIA (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2007

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Bank of India except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting

Regulation 63

- (i). A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the General Meeting of Bank of India.
- (ii). Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders

Regulation 64

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 65:

- i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Bank of India
 - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
 - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Bank of India and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- (ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Bank of India on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:**Regulation 66:**

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:**Regulation 67:**

- (i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Bank of India and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Bank of India shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Determination of voting rights:

Regulation 68:

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)

Explanation – for this chapter, “Company” means any body corporate.

- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative:

Regulation 69:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a “duly authorized representatives” in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Bank of India. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Bank of India as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank of India not less than four days before the date fixed for the meeting.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA NOTIFICATION

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR.Appt. No:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 laying down specific “Fit and Proper” Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of PSBs under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the “Fit and Proper “status etc., are as under:

- **Authority:**

All the nationalized banks are required to constitute a “Nomination and Remuneration committee” (Committee) consisting of a minimum of three non executive directors from amongst the Board of Directors for undertaking the process of due diligence to determine ‘fit and proper’ status of the candidate. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other non-executive Director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

- **Manner and procedure:**

The Bank will obtain necessary information, and declaration & undertaking in format given in **Annexure-A** from

the persons who file their nomination for election. The committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned in the RBI circular.

The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

- **Criteria**

The committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidate based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) **Age** – The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) **Educational qualification** – The candidate should at least be a graduate.
- (iii) **Experience and field of expertise** – The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 19A(a) of the SBI Act / section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.
- (iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:
 - (a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.
 - (b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.
 - (c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank (including the bank in which he/she has served as director in the past) /FI/RBI/ Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
 - (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
 - (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc).
 - (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
 - (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.
- (v) **Tenure** – An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years (Clause 9(4) of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80), whether served continuously or intermittently.
- (vi) **Professional Restrictions** –
 - a. The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

- b. The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

- (vii) **Track record and integrity** - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) Deed of Covenant executed in the format given in Annex 2 to the RBI circular, before such person assumes office of director
- (b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annex 1 incorporating the changes.

Further, the Circular also provides that the Banks shall also Ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- (a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- (c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Further the Circular provides that Where the elected director:

- (a) fails to
 - (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or
 - (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (2) of section 19A of the SBI Act / sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR- GOI guidelines dated June 01,2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated September 03, 2013 and revised vide MOF Letter No.F.No.16/51/2012-BO.i dated March 25, 2015 and July 20, 2016 (the extant Government of India guidelines)

The following criteria may be kept in mind for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

GENERAL

- Persons of eminence with special academic, training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of Industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turn around in a failing organization) would be preferred.
- Retired Senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NOD on the Board of any other PSB.
- Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and professors having more than 20 years experience.
- Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.

EDUCATION

- An NOD Should be at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT

AGE

- The age of the Director, on the date of recommendation by Committee should not be more than 67 years.

WORK EXPERIENCE

- Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

DISQUALIFICATION

- A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company , under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company.
- Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- No person may be re- nominated as a NOD on the Board of a Bank/ FI/ RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

Tenure

- Director on the board of any other Bank/FI/ RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

Professional Restriction

- If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non official Director in any Nationalized Bank/ PSB.
- If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalized Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non Official Director in the same Bank.

As restriction imposed by RBI Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

- (i) The voting period begins on 10.00 a.m. on Monday, October 19, 2020 and ends on 5.00 p.m. on Wednesday, October 21, 2020. During this period shareholders' of the bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date (record date) of Friday, September 18, 2020 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting venue.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on "Shareholders" module.
- (v) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Company.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).

- (ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant Bank of India on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see Names of the Candidates and their Profile, YOU HAVE TO SELECT ONLY ONE CANDIDATE AMONGST THEM AND CLICK ON SUBMIT.
- (xiv) A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting". The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Company/RTA email id.

2. For Demat shareholders -, please provide Demat account details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) to **Company/RTA email id**.
3. The company/RTA shall co-ordinate with CDSL and provide the login credentials to the above-mentioned shareholders.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
3. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility , then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

(xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer at scrutinizer@snaco.net and to the Bank at the email address viz; **headoffice.share@Bankofindia.co.in**, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the e-Voting System, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022- 23058738 / 022-23058542/43.

Other Instructions

1. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the EGM, make a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman / MD & CEO or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same.
2. The result declared along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.bankofindia.co.in and on the website of CDSL <https://www.evotingindia.com> immediately. The Company shall simultaneously forward the results to National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, where the shares of the Company are listed.

बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051

नामांकन प्रारूप

प्रति

प्रबंध निदेशक और सीईओ,
बैंक ऑफ़ इंडिया,
प्रधान कार्यालय,
स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
मुंबई-400 051

महोदय,

निदेशकों का चुनाव

आपकी सूचना दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के संदर्भ में मैं,..... बैंक ऑफ़ इंडिया का शेयरधारक हूँ और मेरे पास चुनाव में सहभागिता हेतु निर्धारित तारीख अर्थात् शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 को इक्विटी शेयर, ₹ 10/- प्रति शेयर हैं और मैं एतद् द्वारा श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी को, जो कि का/की निवारी हैं, 22 अक्टूबर, 2020 को होनेवाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवम् अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में किए गए उपबंध के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामित करता हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
रजिस्टर फोलियो संख्या (यदि डीमैट नहीं हो)	
डीपीआईडी सं. एवं ग्राहक आईडी क्र. (यदि डीमैट हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां:

- यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फॉर्म के साथ संबंधित निदेशक बोर्ड की बैठक के पारित संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति जिस पर संबंधित बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो, संलग्न की जानी चाहिए।
- उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर का बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध हस्ताक्षरों के साथ मिलान होना जरूरी है।
- उपरोक्त में से यदि कोई भी कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन खारिज कर दिया जाएगा।

Bank of India

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051

NOMINATION FORM

To

Managing Director & CEO,
Bank of India, Head Office, Star House,
Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400051.

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated 18th September 2020 I, ... a shareholder of Bank of India holding equity shares of ₹ 10/- each as on Friday, September 18, 2020 i.e., the Specified Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt. son / daughter / wife of Shri residing at for being elected as a Director of Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on October 22, 2020

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालय, स्टार हाउस, बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051

घोषणा

मैं, ... पुत्र/पुत्री, ...

श्री/श्रीमती निवासी

..... एतद्वारा, पुष्टि करता/करती हूँ कि:

1. मैं चुनाव में सहभागिता हेतु निर्धारित तारीख अर्थात शुक्रवार 18 सितम्बर, 2020 को बैंक के इक्विटी शेयरों का/की धारक हूँ एवं
2. *i) मुझे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग (viii) सूचना प्रौद्योगिकी (ix) भुतान एवं निपटान प्रणाली (x) मानव संसाधन (xi) जोखिम प्रबंधन (xii) कारोबार प्रबंधन या (जिसकी विशेष जानकारी अथवा व्यवहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा) में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव है तथा मैं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसार जमाकर्ताओं या कृषकों, कामगारों एवम् शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और उसके साक्ष्य के रूप में संबंधित प्रमाणपत्रों को इसके साथ प्रस्तुत करता हूँ, एवम्
3. मैं नंबरों वाले नामांकनों को स्वीकार करता/करती हूँ, एवम्
4. मैं बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने का/की इच्छुक हूँ एवम्
5. मैं, बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 बैंककारी कम्पनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक पद के लिए अयोग्य नहीं हूँ ।
6. मैं किसी लाभ के पद पर नहीं हूँ और न किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक जो भारतीय स्टेट बैंक एक्ट 1955 के अंतर्गत उपधारा (1) धारा 3 के अनुसार गठित है, अथवा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ, एवम्

मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि :

7. मैं किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी नहीं हूँ, और
8. मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या भुगतान निलंबित या लेनदारों के साथ जोड़ा नहीं गया है, और
9. मुझे कभी भी मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है और न ही किसी सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है और न ही किसी सक्षम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया है और न ही किसी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा नैतिक अधमता जैसे किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, और
10. मैं किसी किराया खरीद, वित्त-पोषण, पैसा उधार देने, निवेश, पट्टे पर देने एवं अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, तथा मैं एमपी, एमएलए, एमएलसी या किसी नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों यथा अधिसूचित क्षेत्रीय परिषद, शहर काउंसिल, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि का सदस्य नहीं हूँ और मैं स्टॉक ब्रोकरिंग के कारोबार से नहीं जुड़ा हुआ हूँ;
11. मैं अतीत में इस बैंक के बोर्ड में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो टर्म या छह वर्ष के लिए, जो भी दीर्घ कार्यकाल हो, निदेशक नहीं रहा हूँ, और
12. मैं किसी श्री श्रेणी के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या वित्तीय संस्थान या आरबीआई या बीमा कम्पनी में चाहे लगातार या रुक-रुक कर दो टर्म या छह वर्ष की अवधि, जो भी दीर्घ कार्यकाल हो, के लिए निदेशक नहीं रहा हूँ, और
13. मैं यदि निदेशक के रूप में निर्वाचित होता हूँ तो बैंक ऑफ़ इंडिया के साथ यदि कोई पेशेवर रिश्ता हो, तो उसे तोड़ दूंगा और उस दौरान बैंक या अन्य किसी बैंक को धारण करने वाली गैर-परिचालात्मक वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) के साथ किसी भी व्यावसायिक रिश्ते का निर्वाह उसके बाद दो-वर्ष की अवधि के लिए नहीं रखूंगा, और
14. जब तक मैं बैंक के निदेशक के पद पर रहूंगा, तब तक सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों का पालन करने का दायित्व लेता हूँ,

15. मैं यह वचन देता हूँ कि इसमें मुहैया कराई गई सूचनाओं के संबंध में इस घोषणा के बाद यदि और घटनाएं, यदि कोई हो, घटित हो तो जहां तक संभव होगा मैं उनके बारे में बैंक को पूरी जानकारी दूंगा और बैंक के निदेशक के रूप में मेरा चुनाव होने पर प्रसविदा विलेख निष्पादित करूंगा।
16. मैं नीचे अपने अन्य कंपनियों/बैंकों में वर्तमान तथा पिछले निदेशक पद के विवरण दे रहा/रही हूँ :

कंपनी, बैंक आदि का नाम	निदेशक पद के विवरण अर्थात् कालावधि, समयावधि आदि

यदि आवश्यक हो तो, अतिरिक्त शीट जोड़ें।

17. मैं अपने व्यक्तिगत ब्यौरे संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी पूर्ण जानकारी एवम् विश्वास में सही और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलिओ संख्या (यदि डीमैट नहीं हो)	
डीपीआईडी संख्या एवं ग्राहक आईडी संख्या (यदि डीमैट हो)	
स्थान	
दिनांक	

उपरोक्त घोषणा मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गयी है।

मुहर के साथ हस्ताक्षर जज, मजिस्ट्रेट, एशयोरेंस रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

* जो लागू न हो उसे हटा दें।

Bank of India

Head Office, Star House, Bandra Kurla Complex, Bandra East Mumbai-400 051

DECLARATION

I, ... son / daughter / wife of Shri / Smt.
 resident of
 hereby confirm that :

1. I am a shareholder holding equity shares of the Bank on **Friday, September 18, 2020** i.e., the Specified date for participating in the elections, and
2. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) Information Technology (ix) Payment & Settlement Systems (x) Human Resources (xi) Risk Management and (xii) Business Management or
 (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
3. I accept the nominations numbering and
4. I am willing to contest for the election of Directors of Bank of India, and
5. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2007 and Notification issued by RBI and GOI Guidelines.
6. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

7. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court, and
8. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors, and
9. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude, and
10. I am not connected with any hire purchase, financing money lending investment, leasing and other para-banking activities and am not & MP, MLAs, MLCs or a Member of any Municipal Corporation or Municipality or other local bodie viz Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zilla Parishad etc and is not connected with the business of stock broking;
11. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
12. I am not a/have been a Director of any Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past under any category for two terms or six years whichever is longer, whether continuously or intermittently, and
13. I will sever professional relationship, if any, with a Bank or any Non-operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with Bank of India during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

14. I undertake to comply with the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended till I hold the position of Director of the Bank
15. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
16. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks:

Name of the company, bank, etc.	Directorship details viz., tenure, period, etc.

Add additional sheet, if necessary.

17. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (if dematerialized)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Bank of India or any Nationalized Bank.

***Delete whichever is not applicable.**

बैंक का नाम : बैंक ऑफ़ इंडिया

फोटो

प्रस्तावित निदेशक (उम्मीदवार) द्वारा दी गई 'घोषणा एवं वचन'

(यथोचित संलग्नकों सहित)

क्र. सं.	विवरण	दी गई जानकारी										
1. व्यक्तिगत जानकारी												
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्यम नाम	अंतिम नाम								
2.	पिता का नाम											
3.	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)											
4.	वर्तमान पता											
5.	ई-मेल पता एवं वैकल्पिक ई-मेल पता: टेलिफोन नंबर,एसटीडी कोड सहित: मोबाइल नंबर											
6.	राष्ट्रीयता											
7.	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)और आयु	---/---/---- आयु:----वर्ष-----माह										
8.	शैक्षणिक अर्हता											
9.	निदेशक पहचान संख्या(डीआईएन)											
10.	आधार संख्या											
11.	(क) स्थायी खाता संख्या (पैन) (ख) आयकर सर्किल/वॉर्ड का नाम/पता जहां प्रस्तावित निदेशक के कर (आयकर क्षेत्राधिकार) का निर्धारण किया जाता है। (ग) गत तीन वर्षों के रिटर्न फाइल व करों के भुगतान का विवरण	<table border="1"> <thead> <tr> <th>फाइल करने की तिथि</th> <th>भुगतान किए गए कर की राशि (₹ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			फाइल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (₹ में)						
फाइल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (₹ में)											
12.	स्थायी पता											
13.	एक या एक से अधिक मामलों यथा लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान व निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, कारोबार प्रबंधन, या अन्य किसी विषय, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक की दृष्टि से बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा, के संबंध में संबंधित ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त लेख (राइट अप) के रूप में का विवरण											

क्र. सं.	विवरण	दी गई जानकारी																
14.	वर्तमान पेशा (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव के संबंध में संक्षिप्त लेख)																	
15.	पिछले न्यूनतम 10 वर्षों का पेशा, जिन संगठनों में कार्य किया है, उनके पूर्ण पते, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, कार्यभार मुक्त होने की तिथि (कारण सहित) पदनाम आदि।																	
16.	सनदी लेखाकार के संबंध में, निम्नलिखित की सूचना दें: (क) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या: (ख) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि: (ग) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम व पता: (घ) फर्म/फर्मों या आपके द्वारा वर्तमान में की गई लेखा परीक्षा(ओं) का विवरण:																	
17.	शाखा के नाम तथा खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) सहित बैंक/को का नाम, जहां आप एक मूल खाता धारक हैं :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बैंक का नाम</th><th>शाखा</th><th>खाते का प्रकार</th><th>खाता संख्या</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या												
बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या															
18.	यदि आपके या आपकी पति/पत्नी और आपके अवयस्क बच्चों की भौतिक या अभौतिक रूप में किसी संस्था में शेयरधारिता है, तो शेयरधारिता का विवरण (डीमैट/शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें):																	
19.	बैंक की निदेशकता से संबंधित जानकारी																	
II. प्रस्तावित निदेशक से संबंधित रिश्ता																		
20.	रिश्तेदारों की सूची, जो किसी भी बैंक से किसी प्रकार से जुड़े हैं, (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) और कंपनी (परिभाषा का विशेषीकरण) नियम, 2014 का नियम, 4) का संदर्भ लें :																	
21.	संस्थाओं की सूची, जिनमें: (क) हित हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें) (ख) हिताधिकारी स्वामित्व हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 का संदर्भ लें, जो एमसीए के प्रमुख हिताधिकारी स्वामित्व नियम) : (ग) ट्रस्टी (किसी ट्रस्ट के संदर्भ में अन्य संबंध का भी उल्लेख करें)																	
22.	वर्तमान और प्रस्तावित, संस्थाओं की सूची, जिसमें बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) 1 के अनुसार, महत्वपूर्ण हित है:	<table border="1"> <tbody> <tr><td>कंपनी/फर्म का नाम</td><td></td></tr> <tr><td>निगमीकरण देश</td><td></td></tr> <tr><td>शेयरों की संख्या</td><td></td></tr> <tr><td>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</td><td></td></tr> <tr><td>शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य</td><td></td></tr> <tr><td>कुल चुकता पूंजी की % के रूप में शेयरधारिता</td><td></td></tr> <tr><td>लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के रूप में)</td><td></td></tr> <tr><td>क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।</td><td></td></tr> </tbody> </table>	कंपनी/फर्म का नाम		निगमीकरण देश		शेयरों की संख्या		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य		शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य		कुल चुकता पूंजी की % के रूप में शेयरधारिता		लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के रूप में)		क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।	
कंपनी/फर्म का नाम																		
निगमीकरण देश																		
शेयरों की संख्या																		
प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य																		
शेयरधारिता का कुल अंकित मूल्य																		
कुल चुकता पूंजी की % के रूप में शेयरधारिता																		
लाभकारी हित (मूल्य के साथ-साथ % के रूप में)																		
क्या संस्था कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 की कंपनी है।																		
23.	विदेश में निगमित संस्थाओं में शेयरपूँजी और भारत में व्यवसाय के स्थान का विवरण																	

क्र. सं.	विवरण	दी गई जानकारी
24.	बैंक/एनबीएफसी/अन्य किसी कंपनी का नाम, जिसमें वर्तमान/पूर्व में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि हैं/थे (ऐसे कार्यालय में पदधारिता की अवधि के विवरण सहित)	
25.	यदि किराया खरीद (हायर परचेज), वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों वाली किसी संस्था (संघ की प्रकृति का उल्लेख किया जाए), से जुड़े हों, तत्संबंधी विवरण	
26.	यदि स्टॉक ब्रोकर हो या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों से संबद्ध किसी संस्था से जुड़े हों, तत्संबंधी विवरण	
27.	उपर्युक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध व्यक्तियों और/या संस्थाओं द्वारा वर्तमान में ली गई निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं, यदि कोई हो, का विवरण	
28.	उपर्युक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध किसी व्यक्ति या संस्था के किसी बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋणदाता संस्था से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में पूर्व में चूककर्ता पाए जाने या इरादतन चूककर्ता घोषित किए जाने के मामले, यदि कोई हो।	
1.पर्याप्त हित (i) किसी कंपनी के संदर्भ में इसका अर्थ कि किसी व्यक्ति या उसकी पति/पत्नी या उसके अवयस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ मिलकर कंपनी के शेयरों में पाँच लाख रुपये से अधिक या कंपनी की चुकता पूंजी का 10% जो भी कम हो, लाभार्थी हित धारण करना; (ii) किसी फर्म के संदर्भ में, इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या उसकी पति/पत्नी या उसके अवयस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ मिलकर उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी का 10% से अधिक का प्रतिनिधित्व करना।		
III. व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकॉर्ड		
29.	निदेशक-पद के संबंध में व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाहियाँ, यदि कोई		
30.	(क) किसी व्यावसायिक संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, जो लंबित या आरंभ की गई हो या गत समय में उनके विरुद्ध दोषसिद्धि हुई हो या क्या उन्हें कभी भी किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है, का विवरण	
	(ख) यदि व्यक्तिगत व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप हो, तत्संबंधी विवरण	
31.	किसी लंबित या आरंभ किए गए अभियोग, यदि कोई हो, या आर्थिक कानूनों या विनियमों के उल्लंघन के लिए स्वयं की या उपर्युक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं की दोषसिद्धि होने का विवरण	
32.	लंबित या आरंभ किए गए आपराधिक अभियोग या दोषसिद्धि पाए जाने, यदि कोई हो, का विवरण	
33.	किन्हीं एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में शामिल होने पर, तत्संबंधी विवरण	
34.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निर्धारित की गई कोई अपात्रता है, तो उसका विवरण	
35.	यदि उसे दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान स्थगित(सस्पेंड) किया गया हो या प्रशमन किया हो, तो उसका विवरण	
36.	यदि वह विकृतचित पाया गया हो और ऐसा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण	

क्र. सं.	विवरण	दी गई जानकारी
37.	(क) यदि दंड न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अधमता के अंतर्गत अपराध या इससे भिन्न में दोषसिद्धि हो, तो उसका विवरण	
	(ख) किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की जाती है, तो उसका विवरण	
38.	यदि पूर्णकालिक निदेशक के पद को धारण करने को छोड़कर, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के किसी लाभ के पद को धारण किया हो, तो उसका विवरण	
39.	यदि कोई व्यक्ति या उपर्युक्त (21) से (26) में सूचीबद्ध किसी संस्था की किसी पूर्व नियोक्ता या सरकारी विभाग या एजेंसी से कोई अन्वेषण/सतर्कता(विजिलेंस)/जांच के मामले में है, तो उसका विवरण	
40.	यदि उन्हें सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी-विनिमय/अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/विनियमों/विधि संबंधी अपेक्षाओं के उल्लंघन के संबंध में दोषी पाया जाता है, तो उसका विवरण।	
41.	यदि उसे व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण किसी विनियामकीय संस्था जैसे कि सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी या न्यायालय द्वारा धिक्कृत, सेंसर, निर्बंधित, निलंबित, विवर्जित व्यादिष्ट (एन्जाइड) या इनके अलावा स्वीकृत किया गया हो, तो उसका विवरण। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए दिए गए आदेशों और निष्कर्ष के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जो बाद में पूर्णतः रिवर्स/अपास्त (सेटिंग असाइड) किया गया हो, यदि रिवर्सल/अपास्त किया जाना गुणावगुणों के आधार पर न होकर तकनीकी कारणों जैसे कि अधिकारिता संबंधी परिसीमा या अभाव, के आधार पर हो तो उक्त का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। यदि उक्त आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है और अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाए)	
V. सामान्य जानकारी		
42.	यदि वह लेखाकार, अधिवक्ता आदि जैसे व्यवसाय में है और वर्तमान में किसी बैंक में कोई व्यावसायिक कार्यभार ले रखा हो/लिया हो तो उसका विवरण उपलब्ध करवाएँ, जिसमें बैंक का नाम तथा बैंक द्वारा सौंपे कार्य की अवधि भी शामिल हो।	
43.	यदि वह पदासीन एमपी/एमएलए/एमएलसी या नगर निगम या नगरपालिका या अन्य स्थानीय निकाय में राजनैतिक पद धारण किया हो, तो उसका विवरण उपलब्ध करवाएँ।	
VI. प्रकटन व पारदर्शिता के संबंध में (उपयुक्त तथा उचित) फिट एंड प्रोपर मूल्यांकन के लिए दूसरी अन्य संबंधित जानकारी होने पर, उपलब्ध करवाएँ।		
वचन		
मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मैं वचन देता/देती हूँ कि, मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होने वाली सभी घटनाओं की पूर्ण जानकारी मैं यथा संभव शीघ्रता से बैंक को दूंगा/दूंगी जो कि उपर्युक्त उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित है।		
मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि, बैंक द्वारा निष्पादित किए जाने हेतु अपेक्षित “प्रसंविदा विलेख” को निष्पादित करूंगा/करूंगी।		
स्थान : दिनांक :		प्रस्तावित निदेशक (उम्मीदवार) के हस्ताक्षर
अपने आप में संतुष्ट होने पर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणी यह है कि उक्त सूचना सत्य एवं पूर्ण है।		
स्थान : दिनांक :		एनआरसी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

Photo

Name of Bank : Bank of India

‘Declaration and Undertaking’ by a proposed Director (Candidate)

(with appropriate enclosures)

Sr. No.	Particulars	Information Disclosed								
I.	Personal Details									
1.	Name in full	<table border="1"> <thead> <tr> <th>First Name</th><th>Middle Name</th><th>Last Name</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	First Name	Middle Name	Last Name					
First Name	Middle Name	Last Name								
2.	Father's name									
3.	Gender (M/F/others)									
4.	Present address									
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number									
6.	Nationality									
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and age	__/__/__ Age: __years__months								
8.	Educational qualifications									
9.	Director Identification Number (DIN)									
10.	Aadhaar Number									
11.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Charge where the proposed director is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Date of filing</th><th>Amount of tax paid (INR)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Date of filing	Amount of tax paid (INR)						
Date of filing	Amount of tax paid (INR)									
12.	Permanent address									
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy; agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company									
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)									

Sr. No.	Particulars	Information Disclosed																
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.																	
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:																	
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bank Name</th><th>Branch</th><th>Type of A/c</th><th>A/c Number</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number												
Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number															
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)																	
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:																	
II. Relevant Relationships of proposed director																		
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:																	
21.	List of entities in which: (a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):																	
22.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)1 of the Banking Regulation Act, 1949	<table border="1"> <tbody> <tr><td>Name of the company/firm</td><td></td></tr> <tr><td>Country of incorporation</td><td></td></tr> <tr><td>Number of shares</td><td></td></tr> <tr><td>Face Value of each share</td><td></td></tr> <tr><td>Total face value of share holding</td><td></td></tr> <tr><td>Shareholding as % of total Paid up Capital</td><td></td></tr> <tr><td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr> <tr><td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Name of the company/firm		Country of incorporation		Number of shares		Face Value of each share		Total face value of share holding		Shareholding as % of total Paid up Capital		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
Name of the company/firm																		
Country of incorporation																		
Number of shares																		
Face Value of each share																		
Total face value of share holding																		
Shareholding as % of total Paid up Capital																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013																		
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India																	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).																	

Sr. No.	Particulars	Information Disclosed
25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
27.	Details of fund and non-fund based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as wilful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.	
1 substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.		
III. Records of professional achievements		
29.	Professional achievements relevant for the directorship.	
IV. Proceedings, if any, against the proposed director		
30.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any professional/ occupation at any time, details thereof	
	(b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance / matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	

Sr. No.	Particulars	Information Disclosed
40.	If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined or otherwise sanctioned by any regulator such SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	

V. General Information

42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI.	In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.	

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.

Place : Date :	Signature of proposed Director / Candidate
Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
Place : Date :	Signature of the Chair of the NRC

[illegible]

